न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र.क. 1616–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 30.04.2014 पारित – व्दारा – अपर कलेक्टर जिला छतरपुर – प्रकरण कमांक 622/07–08 अ–19 निगरानी

जगदत्त पुत्र गोकुल निवासी ग्राम मुडेरी दक्षिणी
तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर ———आवेदक

विरूध्द

चन्दनसिंह पुत्र किशोरीलाल राजपूत
ग्राम श्याम का खेड़ा तहसील लवकुशनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ——अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी
अनावेदक के विरूद्व पूर्व से एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 5.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र.क. 622/अ–19/ 2007–08 निगरानी में पारित आदेश दि. 30–4–14 के विरूद्व म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त वछोन तहसील लौड़ी जिला छतरपुर को आवेदन दिनांक 24–6–1996 प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा मुडैरी दक्षिणी स्थित शासकीय भूमि स. क. 684/1 रकबा 0.809 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 685 से लगी हुई है इस भूमि पर उसके पूर्वजों के जमाने से कब्जा होकर खेती होती आई है पिछले 30 वर्ष से वह इस भूमि पर खेती कर रहा है इसलिये व्यवस्थापन किया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त बछोन तहसील लोड़ी जिला छतरपुर ने प्रकरण कमांक 27/अ–19/1995–96

पंजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 14.9.96 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम कर दिया। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–9–1996 के विरूद्व अनावेदक ने कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष दिनांक 22–3–2004 को निगरानी प्रस्तुत की, कलेक्टर छतरपुर ने निगरानी पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 18–8–2004 से प्रकरण अपर कलेक्टर छतरपुर को सुनवाई हेतु अंतरित किया। अपर कलेक्टर छतरपुर ने प्र.क. 622/अ–19/ 2007–08 निगरानी में सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30–4–14 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.9.96 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं

4/ आवेदक के अभिभाषक ने आपत्ति की कि अपर कलेक्टर नें अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर दिनांक 8.10.04 को तर्क सुनकर निगरानी की ग्राह्यता पर आदेश हेतु प्रकरण नियत किया और 23–10–04 को अवधि विधान की धारा–5 पर एंव निगरानी की ग्राह्यता पर आदेश पारित नहीं किया और बचाव का समुचित अवसर दिये बिना अंतिम आदेश पारित करने में भूल की है। आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 622/अ–19/2007–08 निगरानी का अवलोकन किया गया। कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय से यह प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में अंतरिम आदेश दिनांक 18–8–2004 से अंतरित हुआ है इसके वाद चौथी पेशी 6–9–04 को आवेदक (अब अनावेदक) के ग्राह्यता पर तर्क हेतु पेशी 8–10–04 नियत की गई। इसके वाद की पेशी 23–10–04 को प्रकरण

तहसीलदार के प्रतिवेदन हेतु नियत कर प्रतिवेदन आने पर ग्राह्यता पर विचार हेतु नियत किया गया, तदुपरांत दिनांक 23–10–04 से 14–6–07 की अवधि के बीच 29 तारीख पेशियॉ नियत हुई , ग्राह्यता पर सुनवाई नहीं हुई तथा 14–6–07 को प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त किया गया एंव 20–6–07 को पुर्नस्थापित कर लिया गया। पेशी 20–6–07 से 13–3–14 की अवधि के बीच 63 पेशियॉ लगीं, अवधि विधान की धारा–5 अथवा ग्राहयता पर सुनवाई नहीं की गई और न ही अवधि विधान की धारा–5 पर अथवा निगरानी की ग्राह्यता पर आदेश पारित किया। आगामी पेशी 26–4–14 को ''आवेदक एंव अनावेदक के तर्क सुने'' लिखकर किस प्रकार के आदेश हेतु प्रकरण सुरक्षित रखा गया –आर्डरशीट में स्पष्ट नहीं है तथा आदेश की तिथि भी नहीं लगाई गई एंव दिनांक 30–4–14 को अंतिम आदेश पारित करके आवेदक के हित में वर्ष 1996 में किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर दिया गया, जबकि अपर कलेक्टर छतरपुर को अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन का सर्वप्रथम निराकरण करना था।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा – 47 – समय वर्जित अपील/निगरानी में आदेश – समय वर्जित अपील/निगरानी में परिसीमा का प्रश्न पहले ही सकारण आदेश व्दारा विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। (रामभुवन वि. रामविशाल 2002 रा.नि. 254 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा – 47 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – समयवर्जित अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है। अपीलीय न्यायालय ऐसी अपील में केवल उसे समय–वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है, अथवा विलम्ब क्षमा कर सकता है किन्तु उसके गुणागुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है। (रामलाल वि. रामचंद्र स्वामी 1967 जे.एल.जे.एस.एन. 43 से अनुसरित)

किन्तु अपर कलेक्टर छतरपुर ने नायव तहसीलदार वृत्त वछौन तहसील लौंडी के आदेश दिनांक 14–9–96 को नायव तहसीलदार लवकुशनगर का आदेश

मानते हुये अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें आदेश दिनांक 14–9–96 के विरूद्व दिनांक 22–3–2004 को अर्थात 07 वर्ष 06 माह से अधिक समय वाद प्रस्तुत निगरानी बिना अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन का निराकरण किये , विधि के प्रावधानों एंव प्रकिया से हटकर अंतिम आदेश पारित करने में त्रृटि की है।

5/ अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दि0 30.4.14 में नायव तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश के संबंध में की गई विवेचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि उन्होंने इस्तहार का प्रकाशन समुचित न होने , ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र न होने आदि तथ्यों का आधार लेकर व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया है, जबकि आवेदक के अभिभाषक के अनुसार आवेदक के हित में मौजा मुडैरी स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 684/1 रकबा 0.809 हैक्टर का व्यवस्थापन नायव तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 14–9–96 से किया गया, उसके उपरांत आवेदक ने वादग्रस्त भूमि को अपने खेत में मिलाने के लिये भूमि को समतल किया एंव बन्धान बनवाया तथा टयूव वैल लगाकर सिंचित बनाया है जिसमें आवेदक का अत्याधिक धन व श्रम खर्च हुआ है।

> राजस्व पुस्तक परिपत्र चार (3) की कंडिका 24 सपठित 30 – भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 – भूमि का आवन्टन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियॉ की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता । (इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म.प्र.शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित)

व्यवस्थापिती व्दारा वादग्रस्त भूमि को अपने खेत में मिलाने के लिये समतलीकरण करके बन्धान बनवाने तथा टयूव वैल लगाकर सिंचित करने में

धन व श्रम लगा दिया, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/   उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 622/2007–08 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 30–4–2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलतः नायव तहसीलदार वृत्त वछौन तहसील लौड़ी व्दारा प्रकरण कमांक 27/अ–19/95–96 में पारित आदेश दिनांक 14–9–96 स्थिर रहने से वादग्रस्त भूमि पर व्यवस्थापन उपरांत आवेदक के नाम शासकीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि यथावत् रहती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर